IMPORTANT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांकः–एफ44(51)पंरावि/प्रशि./स्वामित्व/2023/पार्ट–1/E-File - 01834

1. **ज़िला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान।**
2. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**
   ज़िला परिषद्,
   समस्त, राजस्थान।

विषय :– "स्वामित्व योजना" के क्रियान्वयन बाबत।
प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 48 दिनांक 18.01.2021, 01.04.2022, 22.02.2023 व 23.07.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में ज़िलों में आ रही विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु राजस्व विभाग तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा अपेक्षित कार्यवाही एवं बेहतर समन्वय हेतु प्रासंगिक पत्रों में जारी निर्देशों की निरंतरता में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैंः–

1. आबादी क्षेत्र की बाहरी सीमा का सीमाज्ञान सम्बन्धित पटवारी द्वारा किये जाने के उपरांत आबादी भूमि की बाहरी सीमा पर चूना मार्किंग सम्बन्धित ग्राम पंचायत के कार्मिकों द्वारा की जाती है। आबादी की बाहरी सीमा की चूना मार्किंग के समय पटवारी का भी उपस्थित होना अनिवार्य है। आबादी भूमि की बाहरी सीमा/लाल डोरा के सत्यापन हेतु मैप–1 की ग्राउंड ट्रुथिंग के समय मैप–1 पर पटवारी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड से मिलान कर हस्ताक्षर किये जाते हैं। मैप–1 एवं मैप–2 में लाल डोरा में संशोधन/परिवर्तन हेतु सम्बन्धित पटवारी उत्तरदायी हैं।
2. राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 161 में सडक सीमा एवं रेलवे लाईन से दूरी निर्धारित कर पट्टे देने का प्रावधान किया हुआ है ऐसे में जिन व्यक्तियों के मकान आबादी भूमि में तो स्थित है परन्तु उन व्यक्तियों के मकान/मकान का हिस्सा सड़क सीमा (ग्रामीण सड़क, जिला सड़क, राज्य राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग) या रेल्वे लाइन सीमा मे आ रहे हैं, उन व्यक्तियों को प्रॉपर्टी पार्सल का वितरण नहीं किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ravi Jain
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.27 14:18:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10019375

3. एक ही व्यक्ति के एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में तीन से चार मकान/भूखण्ड के रूप में प्रापर्टी हैं, इस सम्बन्ध में यदि उस व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक भूखण्ड नियमानुसार क्रय किये गये हैं तो समस्त भूखण्डों के प्रोपर्टी पार्सल दिये जा सकते हैं लेकिन किसी व्यक्ति के स्वामित्व में एक से अधिक भूखण्ड हैं और उनका पट्टा नहीं है तो सिर्फ पट्टा शुदा भूखण्ड का प्रोपर्टी पार्सल देय है शेष का नहीं।
4. राजस्थान पंचायती राज नियम 157(2) में 300 वर्गगज तक के महिला पट्टा धारक की प्रॉपर्टी आईडी का क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक होने पर प्रॉपर्टी आईडी का वितरण के सम्बन्ध में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 165(4) के अनुसार 300 वर्ग गज से अधिक की भूमि का विक्रय विलेख डी.एल.सी. दर से प्रभार लिया जाकर दिया जा सकता है, अन्यथा प्रोपर्टी आई.डी. विवादग्रस्त अंकित कर संबंधित को वितरित नहीं की जाए।
5. स्वामिम्व योजनान्तर्गत पट्टा/प्रोपर्टी पार्सल वितरण एवं ई–पंचायत पोर्टल पर इन्द्राज किये जाने में विभागीय आदेश क्रमांक 325 दिनांक 19.04.2017 लागू नहीं होता है।
6. जिस प्रॉपर्टी का पूर्व में पिता के नाम पट्टा बना हुआ है लेकिन प्रॉपर्टी कार्ड बटवारे/कब्जे के आधार पर उनके कुछ वारिसान के नाम बन गया है। ऐसी स्थिति में विभागीय आदेश क्रमांक 603 दिनांक 09.05.2018 के अनुसार कार्यवाही की जानी है।
7. राजकीय भवन अथवा भूमि के प्रॉपर्टी आईडी में ऑनलाईन इन्द्राज हेत राजकीय कार्यालय में तत्समय पदस्थापित प्रभारी अधिकारी/कार्मिक के आधार व मोबाइल नं. इन्द्राज किये जाएं।
8. ऐसी प्रॉपर्टी आईडी जिनका पट्टा वर्षो पूर्व का बना हुया है लेकिन उनका मूल रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही है जबकि प्रार्थी के पास मूल पट्टा है ऐसी स्थिति में विभागीय पत्र क्रमांक 957 दिनांक 26.11.2021 के अनुसार कार्यवाही की जाए।
9. जिन मकानों का विक्रयनामा/करार पत्र द्वारा क्रय किया गया है तथा पट्टा विक्रय करने वाले के नाम है तथा प्रॉपर्टी आईडी क्रय कर्ता के नाम है, ऐसी स्थिति में विभागीय आज्ञा क्रमांक 603 दिनांक 09.05.2018 के तहत कार्यवाही की जाए।
10. ग्रामीण क्षेत्र मे पूर्व मे राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत कमजोर वर्गो को निर्धारित सीमा के भूखण्डो का निःशुल्क आंवटन किया जाता रहा है। इन पट्टो पर **विक्रय के लिए नहीं** का स्पष्ट अंकन होता है। यदि इन पट्टों का विक्रय किया गया है, तो राजस्थान पंचायती राज 1996 के नियम 158 के उप नियम 3 व 4 के अनुसार कार्यवाही की जानी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ravi Jain
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.27 14:18:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10019375

11. यदि प्रॉपर्टी आईडी व ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में जारी पट्टों के क्षेत्रफल में अन्तर है, ऐसी स्थिति में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 165 (4) के अनुसार कार्यवाही की जानी है। जब तक विधिक कार्यवाही पूर्ण नहीं होती है, प्रोपर्टी पार्सल का वितरण नहीं किया जावे।
12. प्रॉपर्टी आईडी वितरण को ऑनलाईन इन्द्राज करने पर निर्मित क्षेत्र व खाली क्षेत्र के क्षेत्रफल की गणना हेतु आवश्यकता पड़ने पर अन्य कार्मिकों यथा कनिष्ठ तकनीकी सहायक (JTA) इत्यादि की मदद ली जावे।
13. स्वामित्व योजनान्तर्गत आपत्तियों के आमंत्रण हेतु विज्ञापन नियमानुसार ही प्रकाशित किये जाएं।
14. ग्राम पंचायत द्वारा स्वामित्व योजना में प्रॉपर्टी कार्ड व पट्टे वितरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि/विवाद की स्थिति होने पर पट्टे के सम्बन्ध में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 166 एवं अधिनियम 1994 की धारा 97 के सम्बन्धित अपीलीय प्रावधान ही लागू होंगे।

इस योजना के सफल एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु अपने–अपने ज़िलों में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

(रवि जैन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. ए.सी.पी., पंचायती राज को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ravi Jain
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.08.27 14:18:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10019375